अध्याय – 4

निःशक्तता का निवारण और शीघ्र पता चलाया जाना

(25)समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्तता की आवृत्ति के निवारण के लिये कतिपय उपयोग का किया जाना

अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्तता की आवृत्ति के निवारण की दृष्टि से–

(क) निःशक्तता की आवृत्ति के कारण से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेक्षण और अनुसंधान करेंगे या करवाएंगे ;

(ख) निःशक्तता का निवारण करने की विभिन्न पद्धतियों का संवर्धन करेंगे ;

(ग) **''जोखिम वाले मामले''** को पहचानने के प्रयोजन के लिये वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जाँच करेंगे ;

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारीवृन्द को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे ;

(ङ) साधारण स्वच्छता, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता अभियानों को प्रायोजित करेंगें या करवाएंगें और जानकारी प्रसारित करेंगे या करवाएंगे ;

(च) माता और संतान की प्रसव–पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव पश्चात् देख रेख के लिये उपाय करेंगे ;

(छ) विद्यालय पूर्व, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करेंगें;

(ज) निःशक्तता के कारणों और अपनाए जाने वाले निवारक उपायों पर, टेलीविजन, रेडियों और अन्य जनसम्पर्क साधनों के माध्यम से जन साधारण के मध्य जागरूकता पैदा करेंगे।